इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014—माघ 11, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 766-41-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जनवरी, 2014 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३ सन् २०१४.

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१४

[दिनांक ३० जनवरी, 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 31 जनवरी, 2014 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००१ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१४ है.

३१ मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. २,६५,०७,३७,३६२ रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो सौ पैंसठ करोड़ सात लाख सैंतीस हजार तीन सौ बासठ होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २००१ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००१ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) आधिक्य		
			मतदत्त	भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	लोक ऋण (वित्त विभाग)				
		पूंजीगत		२,६३,७९,९२,१७३	२,६३,७९,९२,१७३
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग				
		राजस्व	९०,०३,६२२		९०,०३,६२२
२१.	आवास एवं पर्यावरण विभाग				
		पूंजीगत		१५,५४०	१५,५४०
२३.	जल संसाधन विभाग				
		पूंजीगत		१९,४७,९६९	१९,४७,९६९

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		राजस्व		४,१६,३१६	४,१६,३१६
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण				
		राजस्व	५५,७४२		५५,७४२
८८.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग/ लोक निर्माण				
		पूंजीगत	१३,०६,०००		१३,०६,०००
	योग :	राजस्व	९०,५९,३६४	४,१६,३१६	९४,७५,६८०
		पूंजीगत	१३,०६,०००	२,६३,९९,५५,६८२	२,६४,१२,६१,६८२
	कुल योग :		१,०३,६५,३६४	**२,६४,०३,७१,९९८**	२,६५,०७,३७,३६२

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 767-41-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2014.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2014

[Received the assent of the Governor on the 30th January, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st January, 2014.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2001 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3), Act, 2014. **Short title.**

Issue of Rs. 2,65,07,37,362 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2001.

2. **From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Two hundred sixty five crores seven lakhs thirty seven thousand three hundred and sixty two shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2001 in excess of the amounts granted for those services and for that year.**

Appropriation.

3. **The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act. Shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2001.**

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes		(3) Excess		
			Voted	Charged	Total
			Rs.	**Rs.**	Rs.
Public Debt	(Finance)	Capital	0	**2,63,79,92,173**	2,63,79,92,173
2.	General Administration Deptt.	Revenue	90,03,622	**0**	90,03,622
21.	Housing and Environment Deptt.	Capital	0	**15,540**	15,540
23.	Water Resources Deptt.	Capital	0	**19,47,969**	19,47,969
24.	Public Work R&B	Revenue	0	**4,16, 316**	4,16, 316
70.	Technical Education and Training	Revenue	55,742	**0**	55,742
88.	Law and Legislative Affairs	Capital	13,06,000	**0**	13,06,000
	Total	Revenue . .	90,59,364	**4,16,316**	94,75,680
		Capital . .	13,06,000	**2,63,99,55,682**	2,64,12,61,682
	Grand Total . .		1,03,65,364	**2,64,03,71,998**	2,65,07,37,362

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.